भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-121

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

नई शिक्षा नीति (एनईपी) का प्रभावी कार्यान्वयन

†121. **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
श्री राजेश वर्मा:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती शांभवी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई शिक्षा नीति (एनईपी) का जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन हुआ है;
(ख) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आरंभ के बाद सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या एनईपी के आरंभ के बाद से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) को शैक्षिक सुविधा प्रदान करने में कोई महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): एनईपी 2020 की घोषणा के बाद स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूल शिक्षा में कई पहल जैसे स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया); सभी बच्चों के लिए समावेशी और न्यायसंगत कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); विद्या-प्रवेश-तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; पीएम ई-विद्या डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करेगी ताकि शिक्षा के लिए सुसंगत बहु-मोड पहुंच को सक्षम किया जा सके, ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर), फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) का शुभारंभ और 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल-आधारित अधिगम शिक्षण सामग्री हेतु जादुई

पिटारा; परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना बनाने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए "न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" योजना का कार्यान्वयन आदि किया गया हैं।

उच्चतर शिक्षा में, विभिन्न पहल /सुधार जैसे कि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) पूर्व स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे दिशानिर्देशों / विनियमों के साथ; उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना; प्रत्येक छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों का पता करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत, अन्य बातों के साथ-साथ एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्रदान करना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयं प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% क्रेडिट की अनुमति; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल और अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से नए स्वयं प्लस पोर्टल का शुभारंभ; प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक समर्थ के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सक्षम करने हेतु प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पर दिशानिदेश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेश से छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश और एक शैक्षणिक वर्ष में दो प्रवेश चक्रों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुमति देना; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि किए गए हैं।

(ख): सरकार द्वारा की गई कई पहलों के परिणामस्वरूप जीईआर में वृद्धि हुई है। एआईएसएचई 2021-2022 के अनुसार वर्तमान जीईआर 28.4% है, जबकि 2019-20 में यह 27.1% था।

(ग): सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के लिए उच्चतर शिक्षा सुलभ बनाने के लिए विभिन्न पहल, जैसे एससी/एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति/फेलोशिप प्रदान करना; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण; एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण; जेईई परीक्षा में बैठने के लिए एससी/एसटी के लिए तैयारी कक्षाएं; स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में जेईई परीक्षा आयोजित करना आदि, कर रही है ।

*****